



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022026-269904
CG-DL-E-06022026-269904

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 559]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2026/माघ 17, 1947

No. 559]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2026/MAGHA 17, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2026

का.आ. 589(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5669(E) तारीख 08/12/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में NH51 के कि.मी. 0 से कि.मी.10.9 तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "17/12/2025 को "ध ईन्डीयन एक्सप्रेस [इंग्लिश]", 17/12/2025 को "संदेश" में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में NH51 के कि.मी. 0 से कि.मी.10.9 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: सुरेंद्रनगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: लींबडी					
गांव का नाम: समला					
1	३	सरकारी (पडतर)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0466	श्री सरकार
2	४१	निजी	एग्रीकल्चर	0.02	जाला प्रसनबा रामभा
3	५३८	निजी	एग्रीकल्चर	0.0008	जमभा अबुभा जाला विगेरे
4	५४०	निजी	एग्रीकल्चर	0.0145	सुरेन्द्रसिंह रघुवीरसिंह
5	५४१	निजी	एग्रीकल्चर	0.0177	भूमिकाबा घनश्यामसिंह परमार
6	८७०	निजी	एग्रीकल्चर	0.0408	दसरथबा इन्द्रसिंह राना
7	९१८	निजी	एग्रीकल्चर	0.0236	अंकुर मनसुखभाई रैयानी विगेरे
8	९२०	निजी	एग्रीकल्चर	0.0084	भवानसिंह मंगलसिंह विगेरे
9	९२६	निजी	एग्रीकल्चर	0.0067	कुसुमबा बलवंतसिंह राणा विगेरे

गांव का नाम: अनकेवलिया					
10	१४२	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0058	जरगेला रहिशाबेन मेहमुदभाई
11	१५८	निजी	एग्रीकल्चर	0.0112	किरीटभाई सामजीभाई दलवाडी
12	६०७	निजी	एग्रीकल्चर	0.0042	रसिकभाई भीखाभाई पटेल विगेरे
13	६०८	निजी	एग्रीकल्चर	0.0026	करशनभाई लालजीभाई दलवाडी विगेरे
14	६१५	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0021	हसमुखभाई सी लखोटीवाला
15	६१८	निजी	एग्रीकल्चर	0.0071	लखमनभाई ठाकरशीभाई दलवाडी
16	६२१	निजी	एग्रीकल्चर	0.0349	अमृतभाई परसोत्तमभाई दलवाडी
17	६२२	निजी	एग्रीकल्चर	0.0099	करशनभाई डुंगरभाई पटेल
18	६२३	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0064	हेमानी आइरिशभाई दाऊदभाई
19	६२६	निजी	एग्रीकल्चर	0.0074	रम्भाबेन पोपटभाई सोनगरा दलवाडी विगेरे
20	६२९	निजी	एग्रीकल्चर	0.0287	मनुबेन गगाभाई राथोड विगेरे
गांव का नाम: भलगामडा					
21	१२८१	निजी	एग्रीकल्चर	0.0313	महेन्द्रसिंह रणुभा राणा विगेरे
22	१३०७	निजी	एग्रीकल्चर	0.0239	इन्द्रबा गणपतसिंह राणा विगेरे
23	१४२४	निजी	एग्रीकल्चर	0.0028	चेतनाबा दशरथसिंह राणा
24	१४२५	निजी	एग्रीकल्चर	0.0132	हरदेवसिंह गंभीरसिंह राणा विगेरे
Total				0.3706	

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2026

S.O. 589(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **5669(E) Dated:08/12/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH51 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 10.9 in the district of SURENDRANAGAR in the state of GUJARAT

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Indian Express” dated 17/12/2025, “Sandesh” dated 17/12/2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH51 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 10.9 in the district of SURENDRANAGAR in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: SURENDRANAGAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Limbdi					
Village: Samla					
1	3	Government (PADTAR)	Non Agriculture	0.0466	SHREE SARKAR
2	41	Private	Agriculture	0.02	ZALA PRASANBAA RAMBHA
3	538	Private	Agriculture	0.0008	JAMBHA AKHUBHA ZALA VIGERE
4	540	Private	Agriculture	0.0145	SURENDRASINH RAGHUVIRSINH
5	541	Private	Agriculture	0.0177	BHUMIKABAA GHANSYAMSINH PARMAR
6	870	Private	Agriculture	0.0408	DASRATHBAA INDRASINH RANA
7	918	Private	Agriculture	0.0236	ANKUR MANSUKHBHAI RAIYANI VIGERE
8	920	Private	Agriculture	0.0084	BHAVANSINH MANGALSINH VIGERE
9	926	Private	Agriculture	0.0067	KUSUMBAA BALVANTSINH RANA VIGERE

Village: Ankewaliya					
10	142	Private	Non Agriculture	0.0058	JARGELA RAHISHABEN MEHAMUDBHAI
11	158	Private	Agriculture	0.0112	KIRITBHAI SAMJIBHAI DALVADI
12	607	Private	Agriculture	0.0042	RASIKBHAI BHIKHABHAI PATEL VIGERE
13	608	Private	Agriculture	0.0026	KARSHANBHAI LALJIBHAI DALVADI VIGERE
14	615	Private	Non Agriculture	0.0021	HASMUKHBHAI C LAKHOTIVALA
15	618	Private	Agriculture	0.0071	LAKHMANBHAI THAKARSHIBHAI DALVADI
16	621	Private	Agriculture	0.0349	AMRUTBHAI PARSOTTAMBHAI DALVADI
17	622	Private	Agriculture	0.0099	KARSHANBHAI DUNGARBHAI PATEL
18	623	Private	Non Agriculture	0.0064	HEMANI AAIRISHBHAI DAUDBHAI
19	626	Private	Agriculture	0.0074	RAMBHABEN POPATBHAI SONGARA DALVADI VIGERE
20	629	Private	Agriculture	0.0287	MANUBEN GAGAABHAI RATHOD VIGERE
Village: Bhalgamda					
21	1281	Private	Agriculture	0.0313	MAHENDRASINH RANUBHAA RANA VIGERE
22	1307	Private	Agriculture	0.0239	INDRABAA GANPATSINH RANA VIGERE
23	1424	Private	Agriculture	0.0028	CHETNABAA DASHRATHSINH RANA
24	1425	Private	Agriculture	0.0132	HARDEVSI GAMBHIRSINH RANA VIGERE
Total				0.3706	

[F. No. 06/2019/GJ/ZONE-V/3D2]

SHAIKH AMINKHAN, Director